TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT: DELHI)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012/ 3304 **Dated the**......22-2-......**2013**

NOTIFICATION

1. **F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012.-** In supersession all previous notifications appointing Collector / Assistant Collector Ist Class/ Revenue Assistant / Settlement Officer (Consolidation) / Competent Authority and conferring powers of Collectors Ist Class and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi, the powers of Assistant Collector, Ist Class under the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi as Assistant Collector, Ist Class under the said Act and confers upon them all the powers of Collector under the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi as Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant and confers upon them all the powers of Collector under the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. Further, in exercise of the powers conferred by section 4 read with clause 6 of section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. Further, in exercise of powers conferred by clause 19-A of section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. Further, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi as Settlement Officer(Consolidation) in their respective sub-divisions / revenue areas, w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier .

7. Further, in exercise of the powers conferred by clause (c) of the section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960), the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize all the Sub Divisional Magistrates of Revenue Department, Government of N.C.T. of Delhi to perform the functions of the Competent Authority under the said Act in their respective sub-divisions / revenue areas, to which the provision of the said act are applicable w.e.f date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

(MOHHAMED A ABID)
Addl. Secretary (Revenue)

F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012/ 3304 **Dated the.....22-2-.......2013**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
2. All District Magistrates/Deputy Commissioners, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
3. All Addl. Districts Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
4. All Sub. Divisional Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. All Tehsildars, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. Dy. Controller of Accounts, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
7. AD(Planning) , Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
8. System Analyst, Revenue Department for uploading the notifications on departmental website .
9. P.A. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
10. Guard file.

(RAJIV KUMAR)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग–4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

–सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 3304 दिनांक: 22-2-2013

अधिसूचना

1. सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 .–समाहर्ता / सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी/ राजस्व सहायक/ बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)/ सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करने तथा समाहर्ता प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटों को राजस्व विभाग में उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण करने से लेकर पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अपने-अपने सम्बद्व उपमण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी की शक्तियों सौपते है।

2. इसके आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901.(1901 का अधिनियम संख्या – III) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग, राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटो को राजस्व विभाग में उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण करने से लेकर पद पर बने रहने तक जो भी पहले हो अपने–अपने सम्बद्व उपमण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अन्तगर्त सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते है, और उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तगर्त समाहर्ता की सारी शक्तियां सौपते हैं।

3. इसके आगे दिल्ली भू राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटो को राजस्व विभाग में उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण करने से लेकर पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अपने–अपने सम्बद्व उपमण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते है और उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समाहर्ता की सारी शक्तियां सौपते है।

4. इसके आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुऐ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण करने से लेकर अपने पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो अपने अपने सम्बद्व उपमण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समाहर्ता के रूप में सौपी गई शाक्यिों का प्रयोग करने या सौपे गए दायित्व का निंवहन करने के लिये नियुक्त करते है।

5. इसके आगे दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 3 खण्ड 19 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्पाल राजस्व विभाग राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटो को राजस्व विभाग में उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट का पदग्रहण करने से लेकर अपने पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, अपने अपने सम्बद्व उपमण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में वर्णित राजस्व सहायक के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी के रूप में सशक्त करते हैं।

6. इसके आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा–विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी एवं विखण्ड रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 50) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग, राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटों को राजस्व विभाग में उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण करने से लेकर पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, अपने अपने सम्बद्व उप–मण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में नियक्त करते हैं।

7. इसके आगे दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व विभाग राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटों को राजस्व विभाग में उपमण्डलीय मजिस्ट्रेटो का पद ग्रहण करने से लेकर पद पर बने रहने तक या अगले आदेशें तक जो भी पहले हो अपने अपने सम्बद्व उप–मण्डलों/ राजस्व क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिये प्राधिकृत करते है जिन पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

(मुहम्मद ऐ आबिद)
अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0–पी/मं. आयु./2012 3304 **दिनांकः** 22-2-2013

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :–

1. उप–सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. समस्त सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. समस्त तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. उप–नियंत्रक लेखा, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (योजना), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. प्रणाली विश्लेषक, राजस्व विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
9. नि.स. सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त।
10. गार्ड फाईल।

(राजीव कुमार)
उपमंडलीय दंडाधिकारी–I (मुख्यालय)